अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु तलब किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय से सबंधित अभिलेख तलब किया गया।

बहस उभय पक्ष सुनी गई। अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा दौराने बहस अपील मेंमों की पुष्टि करते हुए व्यक्त किया कि जिला रसद अधिकारी का आदेश कानून व न्याय के सिद्वान्तो के विरूद्ध होने से निरस्तय यौग्य है, जिला रसद अधिकारी द्वारा शिकायत की विस्तृत जाचं करवाये बिना अपीलान्ट को दोषी मान लिया गया जो कानूनी गलत है। जिन लोगों द्वारा शिकायत की गई है उन लोगों के नाम पते तक दर्ज नही हो रहे हैं। दौराने जांच बरखेडी खुर्द आये बिना ही ग्राम कांकरिया में अधूरी जांच की गई। शिकायतकर्ता द्वारा इस बात की शिकायत की गई की उनको एक माह का राशन वितरण नही किया गया जबकि मार्च के प्रथम पखवाडे में अपीलान्ट की तबीयत खराब थी व रेस्पो0 के आदेश अनुसार मार्च 2020 में प्रति यूनिट 5 किग्रा गेंहू का वितरण होना था,इसके बाद लॉक डाउन लग जाने के कारण रेस्पोडेन्ट के आदेश अनुसार माह अप्रेल 2020 में प्रति यूनिट 10 किलो गेंहू का वितरण करना था जो दो पाखवाडों प्रथम 1 से 15 अप्रेल व द्वितीय 16 से 30 अप्रेल प्रत्येक पखवाडे में 5 किलो गेंहू वितरण किया जाना था किन्तु ग्राम वासी कंकरिया ने एक बार में 10 किलो गेंहू देने की मांग की गयी किन्तु पोस मशीन अनुसार 5 किलो गेंहू दिये जाने के निर्देश दिये गये थे, इसका कथन प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 23.04.2020 में किया गया है। अपीलान्ट मार्च 2020 में बीमार होने के कारण प्रथम पखवाडे में दुकान नही खोल सका व तबीयत ठीक होने पर 25.03.2020 से राशन का वितरण प्रारम्भ किया गया जो लगातार चलता रहा व दिनांक 28.03.2020 को पोस मशीन में स्वतः अपडेशन होकर अप्रेल 2020 के प्रथम पखवाड़े हेतु प्रति यूनिट 5 किलो गेंहू को हो गया इसकी जानकारी सहवन से अपीलान्ट को नही हो सकी जिस कारण अपीलान्ट उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में मार्च 2020 अनुसार एन्ट्री करता रहा। प्राधिकार पत्र निलम्बन की पालना में अपीलान्ट द्वारा कभी भी अस्थाई सम्बद्ध दुकानदार बजरंग लाल को राशन सामग्री का शेष स्टॉक देने से इन्कार नही किया गया बजरंग द्वारा स्वयं की सुविधा अनुसार तीन बार में अपीलान्ट से राशन सामग्री ली गई। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

इस पर पेरोकार रसद द्वारा व्यक्त किया गया कि तत्समय उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायत की जांच करने पर प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया व निलन्बन के बाद दिये गये आदेश बाबत शेष स्टॉक को अस्थाई सम्बद्ध दुकानदार को वितरण हेतु दिये जाने के उपरान्त भी लगभग तीन माह पश्चात अवशेष स्टॉक संभलाया गया था । तत्पश्चात अपीलान्ट की सुनवाई की जाकर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया है जो उचित है अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अघोपान्त अवलोकन किया तथा बहस उभय पक्ष पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि अपीलान्ट उचित मूल्य दुकानदार के विरूद्ध शिकायत प्राप्त होने पर जिला रसद अधिकारी झालावाड़ द्वारा शिकायत की जांच प्रवर्तन निरीक्षक से कराई गई जांच रिपोर्ट में ग्राम कांकरिया के उपभोक्ताओं के अनुसार उचित मूल्य दुकानदार द्वारा उपभोक्ता पखवाडे में दुकान नही खोलना व माह के अंतिम दिनों कें राशन वितरण किया जाना अवगत कराया गया। प्रवर्तन निरीक्षक, की रिपोर्ट के पेरा न0 3 में स्पष्ट अंकन किया गया है" उल्लेखनीय है कि उचित मूल्य दुकानदार श्री जगदीश गुर्जर द्वारा माह मार्च में दिनांक 25.03.20 तक उपभोक्ताओं को गेंहू वितरण नही किया गया एवंम माह मार्च के अन्तिम दिनों में जब वितरण प्रारम्भ किया गया तो पोस मशीन संख्या 15021 से सहवन से मार्च की जगह अप्रेल माह से ट्रांजेक्शन(नियमित) कर उपभोक्ताओं को गेंहू वितरण कर दिया गया है। अतः माह मार्च का Pos Machine का वितरण नही हो पाया है एंव उपभोक्ता एक माह के गेंहू से वंचित रह गए हैं।" इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्तों का उल्लघन तो जाहिर है व अपीलान्ट द्वारा लगभग तीन माह पश्चात ही सही किन्तु अवशेष स्टॉक को अस्थाई सम्बद्ध दुकानदार को वितरण हेतु उपलब्ध भी करा दिया गया है। उपरोक्त विवेचन से अपीलान्ट द्वारा की गई अनियमितता के फलस्वरूप प्राधिकार पत्र तक निरस्त किये जाने के दण्ड को यथावत रखना उचित प्रतीत नही होता है क्यों कि अपीलान्ट द्वारा किये गये कृत्य उपरान्त लगभग 8 माह तक निलम्बन काल में समय व्यतीत किया जा चुका है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जिला रसद अधिकारी द्वारा प्रकरण संख्या 55/20 निर्णय दिनांक 15.10.2020 को निरस्त किया जाकर प्राधिकार पत्र बहाल किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ जिला रसद अधिकारी झालावाड़ को भिजवाई जावे। पत्रावली फेसल शुमार की जाकर बाद तामील तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़

निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर,झालावाड़

मि0न0 141/अपील/20 तारिख दायरा: 09.12.2020

जगदीशचन्द आ0 मांगीलाल गुर्जर नि0 ग्राम बरखेड़ा खुर्द पचांयत बरखेड़ा कला,तहसील बकानी

बनाम

जिला रसद अधिकारी,झालावाड़

अपील बनाराजगी निर्णय दिनांक 15.10.2020 अन्तर्गत प्रकरण संख्या 55/2020

उपस्थितः— श्री विजय जैन, अभिभाषक अपीलान्ट

पेरोकार रसद

—: निर्णय :— दिनांकः 29.12.2020

यह अपील अपीलान्ट द्वारा जिला रसद अधिकारी झालावाड़ के आदेश कमांकः 55/2020/अभियोजन/ दिनांक 15.10.2020 जिसके द्वारा अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र निरस्त किया गया से असन्तुष्ट होकर प्रस्तुत की गई है । अपने अपील मेंमों में अभिभाषक अपीलान्ट ने निवेदन किया गया है कि अपीलान्ट राजस्थान खाद्यान एवं अन्य आवश्यक पदार्थ (वितरण का विनियमन) आदेश 1976 के तहत प्राधिकार पत्र संख्या 1400/2012 से बरखेड़ा खुर्द एवं कंकरिया हेतु राशन डीलर है। रेस्पो0 के निर्देश पर प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपीलान्ट के विरूद्ध की गई शिकायत की जांच 23.04.2020 को की गई व जांच में यह पाया जाने पर की अपीलान्ट द्वारा माह मार्च 2020 पखवाडे में दुकान नही खोली गई व माह के अंतिम दिनों में वितरण प्रारम्भ किया गया साथ ही माह अप्रेल में नियमित एंव अतिरिक्त दो बार राशन के गेंहू का वितरण किया जाना था किन्तु अपीलान्ट द्वारा एक माह का ही वितरण किया जा रहा है। साथ ही अपीलान्ट द्वारा माह माच के अंतिम दिनों में जब वितरण किया तो पोस मशीन में सहवन से मार्च की जगह अप्रेल में ट्राजेक्शन (नियमित) कर उपभोक्ताओं को वितरण कर दिय गया जिससे उपभोक्ता मार्च माह के गेहू से वंचित रह गये। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र दिनांक 27.04.2020 को आगामी आदेश तक कें लिये निलम्बित कर बजरंग लाल गुर्जर को शेष स्टॉक संभलाने को कहा जाने पर बजरंग लाल द्वारा अपनी सुविधा अनुसार समय—समय पर शेष स्टॉक लिया गया व रसीद दी गई। अपीलान्ट को कारण बताओ नोटिस दिया जाकर जवाब चाहा गया जिसका जवाब अपीलान्ट द्वारा समय—समय पर दिया गया किन्तु रेस्पो0 द्वारा दिनांक 15.10.2020 को अपीलान्ट का प्राधिकार पत्र समस्त प्रतिभूमि राशि जब्त करते हुए निरस्त कर दिया गया। रेस्पो0 द्वारा इस तथ्य पर ध्यान नही दिया गया कि सामग्री के वितरण बाबत सारा नियन्त्रण पोस मशीन से होता है। तकनिकी खराबी के कारण पोस मशीन में पोस मशीन में 28 मार्च 2020 को ही अप्रेल 2020 के राशन वितरण बाबत जानकारी अपलोड कर दी गयी थी इस कारण अपीलान्ट द्वारा 28.03.2020 को मार्च माह की सामग्री का वितरण किया तो वह राशन सामग्री माह अप्रेल 2020 की पोस मशीन में स्वतः दर्ज हो गयी । अपीलान्ट द्वारा जानबूझकर उपभोक्ताओं को मार्च 2020 के गेहूं से वंचित नही रखा गया है। रेस्पो0 के आदेश अनुसार मार्च 2020 में प्रति यूनिट 5 किग्रा गेंहू का वितरण होना था,इसके बाद लॉक डाउन लग जाने के कारण रेस्पोडेन्ट के आदेश अनुसार माह अप्रेल 2020 में प्रति यूनिट 10 किलो गेंहू का वितरण करना था जो दो पाखवाडों प्रथम 1 से 15 अप्रेल व द्वितीय 16 से 30 अप्रेल प्रत्येक पखवाडे में 5 किलो गेंहू वितरण किया जाना था किन्तु ग्राम वासी कंकरिया ने एक बार में 10 किलो गेंहू देने की मांग की गयी किन्तु पोस मशीन अनुसार 5 किलो गेंहू दिये जाने के निर्देश दिये गये थे, इसका कथन प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट दिनांक 23.04.2020 में किया गया है। अपीलान्ट मार्च 2020 में बीमार होने के कारण प्रथम पखवाडे में दुकान नही खोल सका व तबीयत टीक होने पर 25.03.2020 से राशन का वितरण प्रारम्भ किया गया जो लगातार चलता रहा व दिनांक 28.03.2020 को पोस मशीन में स्वतः अपडेशन होकर अप्रेल 2020 के प्रथम पखवाड़े हेतु प्रति यूनिट 5 किलो गेंहू को हो गया इसकी जानकारी सहवन से अपीलान्ट को नही हो सकी जिस कारण अपीलान्ट उपभोक्ताओं के राशन कार्ड में मार्च 2020 अनुसार एन्ट्री करता रहा। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा दिनांक 23.04.2020 को अपीलान्ट की दुकान का भौतिक निरीक्षण नही किया गया और न ही अपीलान्ट से सम्पर्क किया बल्कि सीधे ग्राम बरखेडा कलां जंहा का अपीलान्ट राशन डीलर नही है व ग्राम कांकरिया के निवासियों से जुबानी बात की,राशन कार्ड की जांच नही की व रिपोर्ट बनादी गयी। इस कारण अपीलान्ट मौके पर ही वस्तु स्थिति बतलाने से वंचित रह गया। प्राधिकार पत्र निलम्बन की पालना में अपीलान्ट द्वारा कभी भी अस्थाई सम्बद्ध दुकानदार बजरंग लाल को राशन सामग्री का शेष स्टॉक देने से इन्कार नही किया गया बजरंग द्वारा स्वयं की सुविधा अनुसार तीन बार में अपीलान्ट से राशन सामग्री ली गई। अपील अपीलान्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जाते।

जिला कलक्टर
झालावाड़